निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 826) पटना, शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
27 सितम्बर 2016

सं० एसीस–01/नि0–26/2014–800—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, श्रम संसाधन विभाग के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन, प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों के विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।** – (1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्त्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) **"विभाग"** से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग;

(iii) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार;

(iv) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(v) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग;

(vi) **"परिशिष्ट"** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

(vii) **"संवर्ग नियंत्री प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार।

3. **संवर्ग का गठन।**– प्रयोगशाला शिल्पिक का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी ही होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय। तदनुसार चिकित्सालयों/औषधालयों में पदस्थापन किया जाएगा।

4. सवंर्ग का पदसोपान।– इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ एवं पदों के सोपान परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे। संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

परिशिष्ट –1 में उल्लिखित पद सोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् हीं प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के कम में सरकार द्वारा परिशिष्ट–1 में अंकित पदसोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट–1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

अध्याय–2
भर्त्ती

5. भर्त्ती।– (1) इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (प्रयोगशाला शिल्पिक) के पद पर सीधी भर्त्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

6. अर्हताएँ।–

(1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आई0एस0सी0/10+2 (जीव विज्ञान) में उतीर्णता होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला शिल्पिक के डिप्लोमा कोर्स में उतीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

(2) प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वहीं होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, अवधारित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अप्रील को आयु के अवधारण का कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. भर्ती की प्रकिया।–

(1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर, आरक्षण कोटिवार, अधियाचना आयोग को अंततम 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा :–

(क) इन्टरमीडिएट/10+2 परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	–	30 अंक
(ख) उच्चतर शिक्षा (बी0एस–सी0/एम0एस–सी0) के प्राप्तांक के लिए	–	15 अंक
(ग) प्रयोगशाला शिल्पिक के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	–	30 अंक
(ध) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	–	25 अंक
कुल	–	**100 अंक**

टिप्पणी– इंटर/10+2 एवं प्रयोगशाला शिल्पिक के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 % x 0.25 =$12^1/2$ अंक दिये जायेगें।

(3) उपनियम (2) के आधार पर मेधासूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा, नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जांच एवं स्वास्थ्य जांच करायी जायोगी और तत्पश्चात् अधियाचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात्, अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(4) आयोग की अनुशंसा के पश्चात् नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय–3
परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

8. परिवीक्षा अवधि।–नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर यदि नियन्त्री प्राधिकार की राय में सुधार की गूंजाईश हो, तो परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रयोगशाला शिल्पिक की सेवा समाप्त कर सकेगा।

9. प्रशिक्षण।– परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन प्रयोगशाला शिल्पिक को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा विहित किया जाय।

10. विभागीय परीक्षा। – प्रयोगशाला शिल्पिक को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्य विवरण विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

11. सम्पुष्टि।– परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने पर प्रयोगशाला शिल्पिक की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगा।

12. वरीयता।– प्रयोगशाला शिल्पिक की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा अंतिम रूप से तैयार मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

अध्याय–4
प्रोन्नति

13. प्रोन्नति के सोपान। –

(1) परिशिष्ट–1 में यथा उल्लिखित प्रोन्नति वाले पद पर किसी प्रयोगशाला शिल्पिक को प्रोन्नति देने पर विचार किया जायेगा जब उसका सेवा सम्पुष्ट हो और ज बवह पद की उपलब्धता के अध्यधीन वरीयता –सह– योग्यता के आधार पर प्रोन्नति के दायरे में आए।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रोन्नति और चारित्री/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का प्रोन्नति पर विचार करते समय अनुपालन करना आवश्यक होगा।

14. विभागीय प्रोन्नति।– प्रोन्नति, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–5
प्रकीर्ण

15. आरक्षण।– सरकार के आरक्षण अधिनियम के उपबंधों और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

16. अवशिष्ट मामले।– इस नियमावली में जिन विषयों का उपबंध नहीं किया गया है, उनके लिए सरकार की सुसंगत संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

17. शंकाओं का निराकरण।– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो इसे विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् अंतिम होगा।

18. कठिनाइयों का निराकरण।– यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगा।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति।–

(1) इस संवर्ग के संबंध में, विभाग द्वारा पूर्व में, समय–समय पर, निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियमावली, संकल्प, अनुदेश, आदेश आदि के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट–1
[नियम 2 (vi), 4, 13,16,17 द्रष्टव्य]

प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग का पद सोपान

कमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	प्रयोगशाला शिल्पिक	
2	प्रथम सोपान	वरीय प्रयोगशाला शिल्पिक	
3	द्वितीय सोपान	प्रयोगशाला पर्यवेक्षक	
4	तृतीय सोपान	वरीय प्रयोगशाला पर्यवेक्षक	

नोट – उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतनमान् वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 27th September 2016

No. ESIS-01/NI-26/2014-800— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment, promotion and service conditions in the Lab Technician Cadre under the Employees State Insurance Scheme of the Department of Labour Resources.

Chapter-1
PRELIMINARY

1. Short title extent & commencement.—(1) These 'Rules' may be called the "Bihar Employees State Insurance Scheme Lab Technician (Recruitment, Promotion and Service conditions) Cadre Rules, 2016"

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.— In these Rules, unless otherwise requires in the subject or context,-

(i) 'Government' means the Government of Bihar ;

(ii) 'Department' means the Labour Resources Department;

(iii) 'Appointing Authority' means the Director, Medical Services, Employees State Insurance Scheme, Bihar;

(iv) 'Commission' means Bihar Staff Selection Commission;

(v) 'Cadre' means the Bihar Employees State Insurance Scheme Lab Technician Cadre;

(vi) 'Appendix' means appendix appended to these Rules.

(vii) 'Cadre controlling Authority' means Director, Medical Services, Employees State Insurance Scheme, Bihar.

3. Constitution of Cadre.— The Cadre of Lab Technician shall be at State level. In this cadre, number of posts in every grades and total number of posts of the cadre shall be the same as sanctioned by the government, from time to time. Accordingly, posting shall be made in the Dispensaries/Hospitals .

4. Hierarchy of posts of cadre.— Different categories and chain of posts of this cadre shall be according to Appendix-1. The Personnels regularly already appointed and working to the posts of this cadre prior to coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre.

The hierarchy mentioned in the Annexure-I shall be effective only after approval of the Government. During course of consideration for approval if any amendment is made by the government in the hierarchy of post, then the Annexure would be deemed to be changed or amended accordingly, and such changed or amended hierarchy of post shall be the part of these Rules.

Chapter-2
RECRUITMENT

5. Recruitment.— The Appointment in this Cadre shall be by direct recruitment to the post of basic category (Lab Technician) of this cadre, on the basis of recommendation of the Commission.

6. Qualifications.—

(1) For the appointment to the posts of basic catogory by direct recruitment, minimum educational qualification shall be pass in I.Sc. /10+2 (Biology). In addition to this, pass in Diploma course of Lab Technician from a government recognized institution and certificate related thereto shall be necessary.

(2) For direct recruitment in the Lab Technician Cadre, minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined reservation category wise, from time to time, by the Government. 1st April of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

7. Procedure of recruitment.—

(1) The appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation category wise requisition to the Commission latest by 30th April.